न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 64 / 2020(2020 / 00232)

लक्ष्मण माली पुत्र बजरंग लाल माली निवासी नयागावं पटवार हल्का मेहरूकलां तहसील सावर जिला अजमेर –प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर (राज) ––अप्रार्थी

आदेश

दिनांक १८.२.२१

प्रार्थी लक्ष्मण माली के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार सावर से करवायी गयी। तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट उनके पत्र कमांक / न्याय / 2020 / 746 दिनांक 04.08.2020 से इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है। जॉच रिपोर्ट के साथ पटवारी पटवार मण्डल मेहरूकलां / भू.अ.नि.मेहरूकलां के द्वारा जॉच रिपोर्ट साथ संलग्न की है। जिसके मुताबिक ग्राम मेहरूकलां की जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या नया–पुराना 207–208,209 मे प्रार्थी का नाम लक्ष्मण पुत्र बजरंग मे दर्ज किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड संख्या 572056487186,ड्राईविंग लाईसैस संख्या आर जे 4820170001096 विद्युत बिल संख्या 1101320752299 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का प्रगति पत्र 1996 कमांक 411833 जाब कार्ड मनरेगा की जा ंच करने पर उक्त दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम लक्ष्मण लाल पुत्र बजरंगलाल माली निवासी नयागांव मालियों का दर्ज है। जो सही है। अतः प्रार्थी का नाम संवत् 2071–74 की जमाबंदी के खाता संख्या 345,207,208 तथा 209 मे प्राप्त दस्तावेजों आधार कार्ड,ड्राईविंग लाईसैस विद्युत बिल जाब कार्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रगति पत्र तथा ग्रामवासियो से व्यक्तिगत पूछताछ के आधार पर उक्त खाता संख्या मे प्रार्थी का नाम लक्ष्मण लाल पुत्र बजरंग लाल जाति माली दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

अतः तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट जो भू0अ0निरीक्षक मेहरूकलां व पटवारी पटवार मण्डल मेहरूकलां द्वारा मजमेआम मे मौतबिरान की मौजूदगी मे दिनांक 30.07.20 को तैयार करवायी गयी है,के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम की जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या नया–पुराना 345,207,208,209 मे प्रार्थी का नाम लक्ष्मण पुत्र बजरंग दर्ज किया हुआ है। इन खातो मे लक्ष्मण पुत्र बजरंग के स्थान पर लक्ष्मण लाल पुत्र बजरंग दर्ज किया जाने के आदेश तहसीलदार सावर को दिए जाते है। अन्य इन्द्राज बदस्तूर रहे। तहसीलदार सावर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:18:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner